

ENCL 131

न्यायालय श्रीमति अद्यता राजस्व हैल ग्वालियर कैप भौपाल.

45

निम्नानि 5676/2018/दौशंगाबाद /अट्ट-

मेर स्वरूप स्वरूप पटेल  
23 नं. नारा गोप्तवी कोटी

पर छतुर्वा  
22.8.18

1. गयापुरसाद साहू आ.स्व. श्री मुशीलाल साहू

ग्राम झाँत तह. तामिधा जिला छिक्काडा

2. महेश आ. मुशीलाल साहू ,

निवासी सौभापुर रोड, सरदार वार्ड पिपरिया

तह. पिपरिया जिला छौक्काबाद

----- आवैदकण्णा.

बनाम

1. विकास साहू आ.स्व. राजेन्द्र उर्फ राजू पुरसाद साहू



2. महेन्द्र साहू आ.स्व. रघुवीर साहू

बौनी निवासी रामचिलास कालौनी, ढधाँस, पिपरिया

तह. पिपरिया जिला छौक्काबाद

----- आवैदकण्णा .

पुनरीक्षण या चिका अंतर्गत धारा 50 मण्डभूरा ०८८५८।



यह कि आवैदकण्णा यह या चिका याननीय अपर आयुक्तसहौदय

नर्मदापुरम सभाग हौक्काबादके न्यायालय के रा.प्र.क्र. 300/अपड़िल /17-18

आदेश दिनांक 16.8.18 जिसके तहत आवैदकण्णा की अपील छारिज की गयी

है के विलद पैश है जो उत्पन्न तहसीलवार अनुविभागीय अधिकारी

पिपरिया के प्र.क्र. 300/6/16-17 आदेश दिनांक 16.2.18 से हुई ।


प्रकरण स्थिति में इस प्रकार है कि प्रश्नगत मूमि पिपरिया

नगर की डायरेक्ट भूमि ख.न. 21/2 प्लाट न. 27/1 रक्का 660 वर्गफुट

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-जवालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 5676/2018/होशंगाबाद/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29-8-2019	<p>याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता श्री मिश्रीलाल मालवी उपस्थित।      याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 23-7-2019 को प्रस्तुत किया है जिसमें इस न्यायालय को सूचित किया है कि उभय पक्ष के मध्य समझौता हो जाने के कारण वह इस याचिका को चलाने में इच्छुक नहीं है। पुनरीक्षणकर्तागण के आवेदन के अनुसार प्रकरण समाप्त किया जाता है। पक्षकार सूचित हो। मूल अभिलेख सम्बन्धित न्यायालय को भेजा जाये।      प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।</p> <p> रवीं  29/8/18 (इकबाल सिंह बैस)</p> <p>अध्यक्ष</p>	